प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
27.08.2024 / प्रादेशिक समाचार / 19:45 बजे

मुख्य समाचार''

- प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शिमला में शुरू– राज्य सरकार प्रदेश में जल्द भरेगी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 8 सौ 85 पद।
- मुख्यमंत्री ने कहा– बरसात के कारण बेघर हुए परिवारों को बीते वर्ष की तर्ज पर राहत पैकेज देने पर विचार करेगी सरकार।
- प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट।
- हिमाचल में अब 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी लड़कियों की शादी– विधानसभा में बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक पारित।

प्रश्नकाल

प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज शिमला में आरंभ हुआ। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। 9 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र में कुल दस बैठकें होंगी। प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में जल्द तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 8 सौ 85 पदों को भरने जा रही है। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे। विधायक चंद्रशेखर के सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने सदन में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एचआरटीसी में सबसे ज्यादा 3 सौ 60 जबकि पशुपालन विभाग में एक सौ 88, और बिजली बोर्ड में अलग–अलग श्रेणियों के 2 सौ 75 पदों सहित विभिन्न विभागों के पदों को भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित सभी विभागों को 31 दिसंबर 2024 तक नियुक्ति की सिफारिशें करने को कहा गया है। विधायक बिक्रम सिंह के सवाल के लिखित जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में वन मंडल अधिकारी के 2 सौ 96 में से एक सौ 17 पद खाली चल रहे हैं। खाली चल रहे इन पदों में से 76 पद राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरे जाने हैं और 41 पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य बिजली बोर्ड में इस समय विभिन्न श्रेणियों के 7 हज़ार 3 सौ 13 पद खाली हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में 15 मई 2003 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के पैटर्न के अनुसार पुरानी पेंशन योजना लागू है, जबकि 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में शामिल किया गया है। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि प्रदेश में पहली जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक 7 सौ 71 भूमिहिन व्यक्तियों ने दो या तीन बिस्वा भूमि आवंटन योजना के तहत

आवेदन किया है। इसमें से सरकार अभी तक 92 परिवारों को ही योजना के तहत भूमि आवंटन कर पाई है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी कि प्रदेश में राजीव गांधी स्टार्ट–अप योजना के तहत इलैक्ट्रिक टैक्सियों की खरीद के लिए एक सौ 21 लोगों ने आवेदन किया है। इसके लिए वित्त वर्ष 2024–25 में सरकार ने 13 करोड रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है।

नियम–130

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार मॉनसून खत्म होने के बाद बरसात के कारण हुए नुकसान की समीक्षा करेगी और इसके बाद बेघर परिवारों को बीते वर्ष की तर्ज पर राहत पैकेज देने पर विचार किया जाएगा। विधानसभा में आज प्राकृतिक आपदा और इससे हुए भारी नुकसान के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा नियम–130 के तहत लाई गई चर्चा के जवाब में उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष आपदा राहत पैकेज के तहत एसडीआरएफ और एनडीआरएफ हैड में 8 सौ 47 करोड़ 73 लाख रुपए, वित्त विभाग द्वारा एक हज़ार 8 सौ 71 करोड़ 75 लाख, योजना विभाग द्वारा एक सौ 46 करोड़ 97 लाख, ग्रामीण विकास द्वारा एक हज़ार 85 करोड़ जबकि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के तहत एक सौ 50 करोड़ रुपए जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुल 4 हज़ार 4 सौ 95 करोड़ 43 लाख रुपए आपदा राहत पैकेज के तहत जारी किए। उन्होंने कहा कि आपदा राहत के रूप में केंद्र सरकार से वर्ष 2023 में मात्र 4 सौ 33 करोड़ 70 लाख रुपए ही मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष आई आपदा में हिमाचल को 9 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और उसका पैसा भी केंद्र से नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इस मसले को लेकर वह फिर से प्रधनमंत्री से मिलेंगे और हिमाचल में आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा में क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए राज्य सरकार ने प्रभावितों को 7 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ऐसे में जिन लोगों को यह मुआवजा नहीं मिला है, वह संबंधित एसडीएम के पास आवेदन करके तुरंत पैसा ले सकते हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में भारी बरसात व आपदा के कारण हुए नुकसान को लेकर सदन में प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि राज्य में हर वर्ष प्राकृतिक आपदा से तबाही होती है। ऐसे में सरकार को इससे निपटने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि गत वर्ष आपदा राहत राशि बांटने व राहत कार्य करने में पारदर्शिता नहीं रखी गई और राशि बांटने में भाई–भतीजावाद किया गया। विधायक चंद्रशेखर, सुरेंद्र शौरी, अनुराधा राणा, विपिन परमार, किशोरी लाल और पूर्ण चंद ठाकुर ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।

वॉकआउट

प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरूआत विपक्ष के वाकआउट से हुई। विपक्षी दल भाजपा ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति न मिलने के विरोध में सदन से वाकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में

शोकोद्गार के तुरंत बाद कानून व्यवस्था का मामला उठाते हुए कहा कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है और सरकार तुरंत सदन का सारा कामकाज रोककर प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करवाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश में ड्रग माफिया, खनन माफिया, कांट्रेक्ट माफिया और वन माफिया पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया कि भाजपा विधायकों ने नियम 130 के तहत कानून व्यवस्था पर चर्चा दे रखी है। इसलिए इस मुद्दे पर नियम 67 के तहत चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आपराधिक मामलों में तीन गुणा बढ़ोतरी हुई है और सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने इस मुद्दे पर व्यवस्था देते हुए कहा कि वह इस मामले को सत्र के दौरान बाद में चर्चा के लिए लाएंगे और फिलहाल वह विपक्ष के नियम 67 के तहत लाए गए चर्चा के नोटिस को रद्द कर रहे हैं। इसके बाद पूरा विपक्ष अपनी सीटों पर खड़ा हो गया और शोरगुल करने लगा। बाद में पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया।

शोकोदगार

इससे पहले विधानसभा में आज तीन पूर्व विधायकों टेक चंद डोगरा, नारायण सिंह स्वामी और दौलत राम चौधरी के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। मॉनसून सत्र के शुरू होने पर सदन के नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में शोक प्रस्ताव लाया। टेकचंद डोगरा नाचन से विधायक थे, वहीं दौलत राम चौधरी कांगड़ा से और नारायण सिंह स्वामी घुमारवीं से विधायक थे।

संशोधन विधेयक

प्रदेश में लड़कियों की शादी अब 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी। विधानसभा में आज बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया गया। इस कानून के तहत लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल तय की गई है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल द्वारा इस संबंध में पेश किए गए विधेयक को सदन ने ध्वनिमत से बगैर चर्चा के पारित कर दिया। विधेयक को अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक कानून बनेगा और इसे लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि अब तक प्रदेश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। सरकार ने इसमें तीन साल की बढौतरी की है।

सिकंदर कुमार

भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री सिंकदर कुमार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 2 ज़िलों अंबाला व पंचकूला का सह–प्रभारी लगाया है। सिकंदर कुमार ने इस अहम ज़िम्मेवारी के लिए भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में हर वर्ग के लिए समर्पण भाव से कार्य किया है, जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में अवश्य ही पार्टी को मिलेगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हमीरपुर से मंडी के बीच बन रहे राष्ट्रीय उच्चमार्ग–70 की हालत सुधारने के लिए सरकार जल्द ही दोनों जिलों के उपायुक्तों की एक कमेटी बनाएगी। यह कमेटी इस निर्माणाधीन राष्ट्रीय उच्चमार्ग के कारण जलशक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं को हुए नुकसान को तुरंत ठीक करने और योजनाओं को बहाल करने व इस सड़क को यातायात को सुचारू बनाने के लिए कदम उठाएगी। वे आज विधानसभा में विधायक चंद्रशेखर द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने माना कि इस एन.एच का काम गुणवत्ता मानकों पर सही नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि गलत निर्माण विधि के कारण 55 मकान गिरने के कगार पर हैं। इनमें से 48 मकानों के नीचे सुरक्षा दीवार लगा दी गई है और शेष मकानों को बचाने के प्रयास जारी हैं।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शिमला में शुरू– राज्य सरकार प्रदेश में जल्द भरेगी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 8 सौ 85 पद।
- मुख्यमंत्री ने कहा– बरसात के कारण बेघर हुए परिवारों को बीते वर्ष की तर्ज पर राहत पैकेज देने पर विचार करेगी सरकार।
- प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट।
- हिमाचल में अब 21 साल से पहले नहीं हो सकेगी लड़कियों की शादी– विधानसभा में बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक पारित।

.....